न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 905/2022

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र बृजलाल जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
2. पतराम पुत्र बृजलाल जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
3. राजाराम पुत्र बृजलाल जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
4. सतनाम पुत्र बृजलाल जाति धाणक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
5. दौलतराम पुत्र हेतराम जाति धाणक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
6. हरिसिंह पुत्र भागमल जाति धाणक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
7. सन्तलाल पुत्र भागमल जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण स0 1 ता 4**

निर्णय दिनांकः 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 23/23 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 12.9030 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 145/133 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि जिसके पूर्व में ख्याली एवं लिखमाराम पुत्र रोड़ प्रत्येक 1/2, 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे।

ख्यालीराम पुत्र रोड़ जाति धाणक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उनके चार लड़के भागमल, बृजलाल, हेतराम एवं रामकुमार हुए जिसमें से भागमल, बृजलाल, हेतराम फौत हो चुके है तथा भागमल की फौतदगी के बाद उनके दो लड़के हरिसिंह व सन्तलाल हुए तथा बृजलाल की फौतदगी के बाद उनके चार लड़के मोहनलाल, पतराम व राजाराम एवं सतनाम हुये तथा हेतराम की फौतदगी के बाद एक लड़का दौलतराम हुआ तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी हैं

रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर की कृषि भूमि में ख्यालीराम पुत्र रेड़ा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज थी एवं ख्यालीराम पुत्र रोड़ा के फौत होने के पश्चात उनके पुत्रगणों भागमल, बृजलाल, हेतराम व रामकुमार प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए तथा उनकी फौतदगी के बाद वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 व 7 बहिब 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज होने थे परन्तु वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:00 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के हिस्से कस्सी राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत दर्ज कर दी गई जिसे वादी दुरस्त करवापाने का अधिकारी है।

रोही मौजाा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 23/23 की कुल 4.3010 भूमि एवं रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 12.9030 हैक्ट भूमि में वादी के हिस्से राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण से साजबाज कर गलत दर्ज कर दिये है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है उपरोक्त हिस्से संशोधित करवाकर जमाबंदी दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है इसलिए रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 22/22 की कुल 12.9030 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 23/23 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 145/133 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 अकेला 1/8 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 बहिब 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान जमाबंदी दुरूस्त करवाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार हिस्से दर्ज करवाकर इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा की वाद भूमि में वादी का हक हिस्सा तस्लीम कर लेवे तथा वाद भूमि में हिस्सा कस्सी सही दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण स0 5 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया जिसमें अंकित किया की सजरा खानदान गलत दर्ज किया है क्योंकि ख्यालीराम के चार लड़किया रेशमी, विद्या, प्यारी, फुली जो की फौत हो चुकी है न तो ख्यालीराम की पुत्रीयों के वारिसान को फरीक बनाया है और न ही लड़कियों का दर्शाया गया है तथा भागमल मृतक के एक लड़की मिटू है उसको फरीक नही बनाया गया है। इसलिए दावा में नॉन ज्वोईन्डर आफ पार्टीबाजी नुकसान आरीज है दावा इसी आधार पर खारिज योग्य है। दावा में ख्यालीराम कब फौत हुआ नही बताया गया है बृजलाल कब फौत हुआ नही बताया गया है। उत्तरदातागण के नाम भूमि दर्ज है सभी ने उत्तरदातागण का हिस्सा चुप रहकर स्वीकार किया है क्योंकि उत्तरदातागण की भूमि इस भूमि के बदले में उत्तरदाता ने पूर्व से ही वादी भागमल के पक्ष में करा रखी है इसलिए वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 7 का कोई हक हिस्सा नही है वाद काबिल खारिज योग्य है।

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता काउंटर क्लेम [illegible] ब पेश कर निवेदन किया की वादग्रस्त कृषि भूमि का नामान्तरण ग्राम प[illegible] के आधार पर दर्ज किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि में तथा वादी के द्व[illegible] हक व हिस्से को दुरूस्त करवाने हेतु वाद

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:00 IST
Reason: SelfAttested

पेश किया गया है तथा उत्तरदाता द्वारा केवल दावा को लीगर ऑन करने के लिए झुठे कथन अंकित किये गये है। वादी एवं उत्तरदाता का हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है जबकि जमाबंदी में दर्ज शेष खातेदार काश्तकार का हिस्सा प्रभावित नही होता है इसलिए इन्हें दावा में पक्षकार नही बनाया गया है तथा न ही उत्तरदाता द्वारा इस भूमि के बदले में वादी के पक्ष में करवाई गयी है। उत्तरदाता संख्या 1 ता 4 गलत हिस्से के आधार पर खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी नही है। अतः काउंटर क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन है कि काउंटर क्लेम खारिज फरमाया जावे एवं मुताबिक अर्जीदावा के अनुसार वादग्रस्त भूमि का हक हिस्सा दुरूस्त फरमाया जावे।

जवाब दावा मय काउंटर क्लेम व जबाबुल जवाब शामिल मिसल किये गये। दावा व जवाब दावा मय काउंटर क्लेम व जबाबुल जवाब के आधार पर निम्न प्रकार से तनकी कायम की गईः–

1. आया की रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 12.9030 हैक्ट एवं इसी चक के खाता संख्या 23/23 की कुल 4.3010 हैक्ट एवं रोही मौजा 11 जेएसएन के खाता संख्या 145/133 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि की जमाबंदी दुरूस्त करवाकर वादी अकेला 1/8 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 बहिब 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित रखा पाने के का अधिकारी है?

वादी

2. आया कि वाद में मृतक ख्यालीराम एवं मृतक भागमल की पुत्रीयान को पक्षकारान नही बनाया गया है।

प्रतिवादीगण

3. आया की राजस्व अधिकारी द्वारा हक व हिस्सा सही दर्ज किया गया है?

प्रतिवादीगण

4. आया की वाद में दर्ज भूमि सम्वत 2012 से पूर्व लगातार प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है?

प्रतिवादीगण

5. दादरसी

वादी ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रति नामान्तरण संख्या 304 रोही मौजा चक 7 बारानी प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी रोही मौजा चक 7 बारानी खाता संख्या 178/208 सम्वत 2054 प्रदर्श–2, फोटोप्रति हल्फनामा प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रति जमाबंदी रोही मौजा चक 7 बारानी प्रदर्श–4, प्रमाणित प्रति जमाबंदी रोही मौजा 7 बारानी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–5, जमाबंदी रोही मौजा चक 7 बारानी सम्वत 2058 प्रदर्श–6, प्रमाणित प्रति जमाबंदी रोही मौजा चक 7 बारानी खाता संख्या 23/23 सम्वत 2070–73 प्रदर्श–7, प्रमाणित प्रति जमाबंदी रोही मौजा 7 बारानी खाता संख्या 22/22 प्रदर्श–8, प्रमाणित प्रति रोही मौजा 11 जेएसएन खाता स0 145/133 सम्वत 2073–76 प्रदर्श–9 आदि प्रदर्शि करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी द्वारा शपथ पेश किया गया। तनकीआत के समर्थना में प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:00 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व में ख्यालीराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसन के नाम दर्ज हुई लेकिन वाद भूमि मुताबिक हक हिस्सा दर्ज नही हुई है अतः मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कि जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 ता 9 से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में ख्यालीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी और ख्यालीराम की फौतदगी के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। ख्यालीराम के वारिसान के नाम उक्त वाद भूमि मुताबिक हक हिस्सा दर्ज होनी थी लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 नामान्तरण से स्पष्ट साबित है कि उक्त वाद भूमि उनके वारिसान के नाम सही दर्ज नही हुई है। पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार ख्यालीराम, बृजलाल, हेतराम, रामकुमार पि0 ख्यालीराम के बहिब दर्ज होनी थी लेकिन प्रस्तुत नामान्तरण के अनुसार उक्त वाद भूमि हेतराम, रामकुमार पि0 ख्यालीराम एवं हरिसिंह, सन्तलाल पि0 भागमल तथा मोहनलाल, पतराम, राजाराम, सतनाम पि0 बृजमोहन के नाम बहिब दर्ज हुई है जबकि रामकुमार व हेतराम बहिब तथा हरिसिंह व सन्तलाल के अपने पिता भागमल के हिस्सा में आने वाली भूमि में से तथा मोहनलाल, पतराम, राजाराम, सतनाम के अपने पिता भागमल के हिस्सा में आने वाली भूमि में से दर्ज होनी थी। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण के अनुसार वाद भूमि वादी एवं भागमल, बृजलाल एवं हेतराम के वारिसों के बहिब दर्ज हुई है जबकि वाद भूमि में 1/8 हिस्सा भूमि वादी के तथा 1/8 हिस्सा भूमि बृजलाल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के बहिब तथा 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के एवं 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के बहिब दर्ज होनी थी लेकिन उक्तानुसार वाद भूमि दर्ज नही हुई है जो की वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 नामान्तरण से स्पष्ट साबित है। प्रतिवादीगण ने उक्त साक्ष्य के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो की उक्त वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक हिस्सा दर्ज हुयी है। प्रतिवादी का कथन है कि उक्त भूमि के बदले में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा वादी एवं भागमल के नाम अन्य भूमि उनके नाम करवा दी है लेकिन उक्त कथन के सबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे साबित हो की उक्त वाद भूमि के बदले में अन्य भूमि वादी एवं भागमल को दी गई हो एवं रोही मौजा 11 जेएसन के खाता संख्या 145/133 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि वादी के पिता ख्यालीराम के नाम वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त जमाबंदी में हिस्सा कस्सी गलत होने की कोई संभावना ही नही है क्योंकि वाद भूमि मृतक ख्यालीराम के नाम दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तनकी न0 1 आंशिक साबित है। अतः तनकी न0 1 का निर्णय बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का कथन है कि ख्यालीराम की पुत्रीये [illegible] सान को फरिक नही बनाया गया है। लेकिन वादी का कथन है कि वाद भूमि [illegible] है जबकि जमाबंदी में शेष खातेदार काश्तकार का हिस्सा प्रभावित नही होता है इसलिए इन्हे पक्षकार नही बनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:00 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा सिर्फ दावा में संयोजित पक्षकरों के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा गया है। अतः अन्य को वारिस बनाया जाना उचित नही है इसलिए तनकी न0 2 का निर्णय भी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी न0 3 तनकी न0 1 व 2 पर आधारित है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की उक्त वाद भूमि का हक हिस्सा सही दर्ज किया गया हों लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 नामान्तरण से यह स्पष्ट साबित है कि उक्त वाद भूमि का नामान्तरण मुताबिक हक हिस्सा दर्ज नही हुआ है। अतः तनकी न0 3 का निर्णय भी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा सही होने के उपरान्त ही वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान अलग किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वाद भूमि का हक हिस्सा सही दर्ज किया गया हो जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 नामान्तरण से यह बखूबी साबित है कि उक्त वाद भूमि का हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। वादी द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है न की धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है अगर प्रतिवादीगण खाता विभागजन करवाना चाहते है तो अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त वाद में प्रतिवादीगण खाता व लगान तकसीम करवा पाने के अधिकारी नही है। इसलिए तनकी न0 4 का निर्णय भी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण किया जाता है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 12.9030 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 23/23 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा भूमि, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब 1/8 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/8 हिस्सा भूमि, प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 बहिब 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:00 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 905/2022

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र बृजलाल जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
2. पतराम पुत्र बृजलाल जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
3. राजाराम पुत्र बृजलाल जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
4. सतनाम पुत्र बृजलाल जाति धाणक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
5. दौलतराम पुत्र हेतराम जाति धाणक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
6. हरिसिंह पुत्र भागमल जाति धाणक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
7. सन्तलाल पुत्र भागमल जाति धाणक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 905 सन 2022 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादी श्री रामकुमार बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 12.9030 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 23/23 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा भूमि, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब 1/8 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/8 हिस्सा भूमि, प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 बहिब 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घेषित किये जाते है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:00 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर